621

प्रेषक

उपायुक्त, रेवाड़ी।

सेवा में,

आयुक्त,
गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम।

यादी क्रमांक 7029 /COVID-19 दिनांक 12-4-20

**विषयः– भट्टा मजदूरों को जरूरी राशन व आर्थिक सहायता दिये जाने बारे।**

–:–

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

श्री विनोद कुमार, महासचिव, लाल भट्टा मजदूर यूनियन हरियाणा से प्राप्त ज्ञापन दिनांक 09–04–2020 जो कि मान्नीय मुख्यमन्त्री जी हरियाणा सरकार के नाम सम्बोधित है की छायाप्रति आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

सलंग्न–उक्त पेज 1 ता 2

12/04/2020
नगराधीश,
कृतेः उपायुक्त रेवाड़ी।

पृ0 क्रमांक 7025-31 /COVID-19 दिनांक 12-4-20

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

1 उपमण्डल मजिस्ट्रेट, रेवाडी/कोसली/बावल।

2 सहायक श्रम आयुक्त, रेवाडी।

3 जिला खादय एवं आपूर्ति नियन्त्रक, रेवाडी।

4 ADIO NIC Rewari

सलंग्न–उक्त पेज 1 ता 2

12/04/2020
नगराधीश,
कृतेः उपायुक्त रेवाड़ी।

622 ETR/MA
Rcd. 14/04/2020

# लाल झण्डा भट्ठा मजदूर यूनियन हरियाणा

(सम्बधिंत सीटू) रजि.न.1234
कैम्प कार्यालय:प्रभात भवन,हनुमान कालोनी,सुखपूरा चौक,रोहतक-124001
email-bmuharyana@gmail.com

रोहताश,प्रधान
9466974573

विनोद कुमार,महासचिव
9416093493

---

सेवा में

दिनांक 09.04.2020

मुख्यमंत्री महोदय,
हरियाणा सरकार,चण्डीगढ़।

**विषय:भट्ठा मजदूरों को जरूरी राशन व आर्थिक सहायता दिये जाने बारे।**

महोदय,

हम 25 व 27 मार्च 2020 को भी इस सम्बध में आपको पत्र लिख चुके हैं। लेकिन खेद की बात ये है कि भट्ठा मजदूरों का सरकार की घोषणा के मुताबिक कोई किसी प्रकार की राहत प्रदान नही की जा रही। सरकार ने लोकडाऊन के दौरान भट्ठे चलाये जाने की अनुमति तो दे दी लेकिन संकट ये बन चुका है कि भट्ठों पर कोयले की आपुर्ति नही हो रही तथा ऐसे में काफी भट्ठों पर उत्पादन बन्द हो चुका है। भट्ठे पर जब उत्पादन ही नही होगा तो ऐसे में इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट आना स्वाभाविक है। भट्ठा उद्योग लघु उद्योग की श्रेण में आता है यानी छोटी पूंजी की इकाई है। इस उद्योग में 2 लाख मजूदर काम करते हैं। छोटा उद्योग होने कारण भट्ठा मालिकों की ये क्षमता नही है कि वो बिना काम किये मजूदरों को अपनी जिम्मेदारी पर मजदूरी भुगतान/राशन का वितरण कर सकें।

हम पहले ही बता चुके हैं है कि इन मजदूरों को जिन्दा रहने हेतू जरूरी राशन अथवा दवाई आदि लेने के लिए नजदीक लगते गाँव/शहरों में जाना पड़ता है। इस भय के वातावरण में कोई भी गाँव वाले अपने गावों में इन मजदूरों का घुसने नही देते ओर शहर में ये वैसे नहीं जा सकते। इससे स्थिती की गम्भीरता को समझा जा सकता है तथा इस पर सरकार की तरफ से अगर समय रहते कोई ठोस कदम नही उठाया गया तो ये हालात काफी ज्यादा गम्भीर हो सकते हैं। ऐसे हालात में हमारी यूनियन आपसे निम्नलिखित अनुरोध करती है कि:-

1. निर्माण मजदूरों की तरह श्रम कल्याण बोर्ड हरियाणा से भट्ठा मजदूरों को अप्रैल से जुलाई तक कम से कम 4500 रू0 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।
2. आर्थिक सहायता देने के लिये भट्ठों पर कार्यरत मजदूरों के फार्म भरवाऐं जाये तथा इस फार्म के सत्यापन के लिये भट्ठा मालिक,श्रम निरिक्षक अथवा हमारी रजि0 यूनियन के जिला प्रधान/सचिव को अधिकार दिया जाये।
3. भट्ठा मजदूरों को प्रयाप्त मात्रा में आटा,चावल,दाल,तेल समेत जरूरी राशन अप्रैल से जून तक साथ लगते डिपो धारक के माध्यम से भट्ठों पर मजदूरों के बीच निशुल्क प्रदान किया जाये।
4. भट्ठा उद्योग को समुचित ढ़ग से चलाने में मदद के लिये कोयले की प्रयाप्त आपुर्ति करना सुनिश्चित किया जाये ताकि 2 लाख भट्ठा मजदूर बेरोजगारी से बच सके ओर जनता को पक्की ईटों की किल्लत से बचाया जा सके।
5. मजदूरों के बीच राहत/सहायता अभियान चलाने तथा स्थानीय प्रसाशन की मदद करने के लिये सभी जिलों में यूनियन के प्रतिनिधियों को आने-जाने के लिये पास बनाये जाऐं।

अत: हम ईमेल द्वारा ये तीसरा पत्र भेजते हुये उम्मीद करते हैं कि उपरोक्त गम्भीर समस्या को ध्यान मे रखते हुये आप तुरन्त उचित कार्यवाही करेंगे।। धन्यवाद सहित।

भवदीय

विनोद कुमार

(विनोद कुमार,महासचिव)

प्रतिलिपी:- माननीय श्री दुष्यंत चौटाला,उप मुखमंत्री एवं श्रम मंत्री महोदय,हरियाणा सरकार,चण्डीगढ़।
माननीय श्री पंकज अग्रवाल,श्रमायुक्त महोदय,श्रम विभाग हरियाणा,चण्डीगढ़।
माननीय निदेशक महोदय,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामाले विभाग,हरियाणा
माननीय सभी जिला उपायुक्त महोदय,समस्त हरियाणा